4249

सं0 /नेडा-ईएस-136/सू0अधि0/05
वैकल्पिक ऊर्जा विका संस्थान, उ0प्र0
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
दिनांक- 25 फरवरी, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

आदेश सं01745 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पूर्व में जारी दिनांक-25.08.06 को संशोधित करते हुए अधिनियम की धारा-5(2) के तहत् केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, नेडा के सहायतार्थ संस्थान के निम्न अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने के आदेश जारी किये जाने के निदेश हुए है :-

(1) श्री योगेश कुमार अरोडा, वरि.परि.अधि.ग्रेड'2/प्रभारी-प्रशासन
(2) डा0 सुनील कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी

डा0 सुनील कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी, नेडा श्री योगेश कुमार अरोडा के कार्याधिक्य के दृष्टिगत समय से एवं गुणवत्ता पूर्वक सूचना के लिए यह प्रक्रिया निर्धारत की जाती है कि डा0 शर्मा इस पर पूरी तरह नियंत्रण रखेगें तथा जो ऐसे प्रकरणों में सूचना देनी होगी, वह निम्नवत संचालित होगी :-

1- केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,नेडा (सचिव एवं मुख्य परि. अधिकारी)
2- लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी-प्रशासन (श्री वाई के0 अरोडा)
3- लोक सूचना अधिकारी,परियोजना अधिकारी (डा0 सुनील कुमार शर्मा)
4- लोक सूचना लिपिक, वरिष्ठ सहायक (श्री रामस्वरूप)

उपरोक्त के कम में पत्रावलियाँ परीक्षण होकर सूचना तैयार होने के लिए एवं सूचना जारी किये जाने के लिए भी प्रस्तुत होगी । सूचना प्राप्त करने के लिए अंकन रजिस्टर समय के अनुसार सूचना अंकन की जिम्मेदारी एवं समय से सूचना प्राप्त करने एवं देने की जिम्मेदारी डा0 सुनील कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी द्वारा निर्वहन की जायेगी, तथा समय-समय पर श्री योगेश कुमार अरोडा,प्रभारी-प्रशासन द्वारा भी समीक्षा करते हुए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को अवलोकित कराते हुए निर्देश प्राप्त कर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(राजमणि यादव)
सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- श्री वाई0के0 अरोडा, परि.परि.अधि. ग्रेड-2/प्रभारी-प्रशासन
2- डा0 सुनील कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी
3- लोक सूचना लिपिक

(राजमणि यादव)
सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी